भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3090

दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

डीडीयूजीजेवाई और आरडीएसएस के अंतर्गत कार्बी आंगलोंग में विद्युतीकरण

†3090. श्री अमरसिंग टिस्सोः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ में कितने गाँवों का दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) क्या इन जिलों में शत-प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण हो चुका है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में स्मार्ट/प्रीपेड मीटरिंग की स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पहाड़ी इलाकों में मीटरयुक्त, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) एवं (ख) : भारत सरकार ने सभी घरों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में राज्यों की सहायता के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) आदि स्कीमों के माध्यम से उनके प्रयासों को गति दी है। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के सभी आबाद गैर-विद्युतीकृत गाँवों का दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकरण कर दिया गया था। डीडीयूजीजेवाई के दौरान कुल 18,374 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया, जिनमें क्रमशः कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों के 650 और 266 गाँव शामिल हैं।राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई और उसके बाद सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत सभी इच्छुक परिवारों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया। सौभाग्य स्कीम के दौरान कुल

2.86 करोड़ परिवारों का विद्युतीकरण किया गया, जिनमें कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों के क्रमशः 61,928 और 14,295 परिवार शामिल हैं। दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम(आरडीएसएस) के अंतर्ग छूटे हुए परिवारों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को और सहायता प्रदान कर रही है। इसमें पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान) के अंतर्गत चिन्हित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के घरों, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत जनजातीय घरों, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के घरों और जहाँ भी संभव हो, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के अंतर्गत दूरस्थ और सीमावर्ती घरों के विद्युतीकरण के कार्य शामिल हैं। अब तक, आरडीएसएस के तहत 13.59 लाख घरों के लिए विद्युतीकरण कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिसमें कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों के क्रमशः 9,011 और 2,604 परिवार शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, आज तक नई सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत 9961 घरों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण हेतु 50 करोड़ रुपये की राशि के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) : कार्बीआंगलोंग और दीमाहासाओ जिलों में आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों की स्थिति (दिनांक 27.07.2025 तक) निम्नानुसार है:

जिला	**संस्वीकृत स्मार्ट मीटरों की (सं.)**	**संस्थापित स्मार्ट मीटरों की (सं.)**
कार्बी आंगलोंग	1,96,300	79,222
दीमा हासाओ	60,849	12,227

(घ) : भारत सरकार सभी परिवारों के विद्युतीकरण हेतु राज्यों को सहयोग प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम उठा रही है। चूँकि अधिकांश छूटे हुए घर दूरस्थ, पहाड़ी और वन क्षेत्रों में हैं, इसलिए आरडीएसएस के अंतर्गत विद्युतीकरण के मानदंडों में ढील दी गई है और विद्युतीकरण की लागत की अधिकतम सीमा बढ़ा दी गई है। गैर-विद्युतीकृत घरों को चिह्नित करने के लिए वितरण कम्पनियों द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। जहाँ भी संशोधित मानदंडों के अनुसार व्यवहार्य पाया गया, वहाँ आरडीएसएस के अंतर्गत ग्रिड आधारित विद्युतीकरण कार्यों को संस्वीकृति दी गई है और शेष क्षेत्रों के लिए नई सौर ऊर्जा स्कीम के अंतर्गत ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यों को संस्वीकृति दी जा रही है।

****